

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, मुख्यालय मध्यप्रदेश

//परिपत्र//

क्रमांक पांच-17/ 8907A/के.क.नि./2015, जबलपुर दिनांक 16/11/2015

होमगार्ड मुख्यालय में दिनांक 04-12-2015 को आयोजित होमगार्ड आफीसर मैस की मीटिंग में सर्व सम्मति से मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक पांच-17/5240/के.क.नि./2012, दिनांक 16-08-2012 में संशोधन किया जाकर निर्णय लिया गया है, कि आफीसर, मैस में ठहरने हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं: परिपत्र जारी होने की तिथि से निम्न दरें प्रभावशील होंगी।

स.क्र	श्रेणी	दर
		ए0सी0
	डी0जी0 सूट	2000/-

स.क्र	विवरण	ए0सी0	नान ए0सी0
1	शासकीय दौरे पर	1000/- प्रतिदिवस	400/- प्रतिदिवस
2	लिवी, यात्रा/परिवार के सदस्यों के लिए/से0नि0	200/- प्रतिदिवस	100/- प्रतिदिवस
3	अतिथियों के लिए	300/- प्रतिदिवस	150/- प्रतिदिवस
4	स्थानांतरण/पोस्टिंग पर	50/- प्रतिदिवस	30/- प्रतिदिवस
	प्रथम 01 माह तक		
	01 माह से 02 माह तक	200/- प्रतिदिवस	100/- प्रतिदिवस
	02 माह से 03 माह तक	500/- प्रतिदिवस	300/- प्रतिदिवस
	03 माह के पश्चात्	1000/- प्रतिदिवस	500/- प्रतिदिवस

नोट:- स्थानांतरण/पोस्टिंग वाले प्रकरणों में मैस में ठहरने की तिथि उनकी स्थानांतरण/पोस्टिंग पर जिले/युनिट में उपस्थिति दिनांक से ही मान्य की जावेगी किसी भी स्थिति में खण्डित अवधि मान्य नहीं होगी।

मैस में रहने पर भोजन व्यवस्था की दरें :-

- 1- चाय 05/-
- 2- सुबह का नास्ता-आमलेट 02 अण्डे का या 02 परांठा-सब्जी या ब्रैड बटर/बटर टोस्ट या फुल्ले सब्जी अथवा पोहा। 30/-
- 3- लन्च/डिन्तर (दो सब्जी दाल-चावल, पापड़, सलाद, रोटी) 70/-

सही/-

(मैथिलीशरण गुप्त)

डायरेक्टर जनरल

होमगार्ड मध्यप्रदेश

क्रमांक पांच-17/ 8908B/के.क.नि./2015, जबलपुर दिनांक 16/11/2015

- 1- कमाण्डेंट, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड मंगेली जबलपुर।
 - 2- समस्त डिवाजनल कमाण्डेंट, होमगार्ड मध्यप्रदेश।
 - 3- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट, होमगार्ड मध्यप्रदेश।
- को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पुलिस महानिरीक्षक

होमगार्ड मध्यप्रदेश

आन्तरिक:-

पीएसडूडी0जी0

पी0ए0डी0जी0/र.डी.जी.(आग्रह)/ए0सी0जी0

एन्फोर्स0जी0 स्था./वेत्त/जे0एस0ओ0/ए0ओ0/क्यू.एम.

एम्पली0आई0/अधी0/सहा0अधी0/व.ले.प./लेखा/रिकार्ड शा.

होमगार्ड, तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय म०प्र०
परिपत्र

क्रमांक पांच-17/34/60/8 /के०क०नि०/ 2008, जबलपुर, दिनांक 29-09-08

मुख्यालय से दिनांक 29-08-08 को आयोजित अशासकीय निधियों की मीटिंग के अन्य निर्णय में सर्वसम्मति से मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक पांच-17/51/10305/के.क.नि. /02 दिनांक 22-11-02 में सशोधन किया जाना आवश्यक समझा गया। वर्तमान में मंहगाई को देखते हुये ऑफीसर मैस की वार्षिक चन्दे की दरों में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है:-

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1- | डायरेक्टर जनरल | रुपये 300/- |
| 2- | महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक | रुपये 300/- |
| 3- | प्रथम श्रेणी | रुपये 300/- |
| 4- | द्वितीय श्रेणी | रुपये 200/- |
| 5- | तृतीय श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी | रुपये 100/- |

ऑफीसर मैस फण्ड के वार्षिक शुल्क की राशि प्रत्येक वर्ष संवित्तियों से दिसंबर पेड जनवरी में आवश्यक रूप से वसूल कर पूर्व की ही भांति मुख्यालय भेजी जावेगी।

सही/-
(प्रमोद शर्मा)
डायरेक्टर जनरल
होमगार्ड मध्यप्रदेश

पृ० क्रमांक पांच-17/34/60/19 /के०क०नि०/ 2008, जबलपुर, दिनांक 29-09-08
प्रतिलिपि:-

- 1- कमाण्डेंट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, खमरिया, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- समस्त डिवीजनल कमाण्डेंट, होमगार्ड, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट, होमगार्ड, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कृते डायरेक्टर जनरल
होमगार्ड मध्यप्रदेश

26/9/08

आंतरिक -
पी०एस०डी०जी०
पी०एस०डी०जी०
पी०एस०डी०जी०
पी०एस०डी०जी०
पी०एस०डी०जी०
समस्त सहायक स्टाफ/विद्युत/सहायक अखीक्षक/लेखा परीक्षक